

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित माधव विलास पैलेस)
आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)
(रसायनशाला)

निविदा प्रपत्र

राशि : 400/- नगद
500/- डी.डी.

क्रमांक :

दिनांक :

प्रेषक फर्म का नाम व पता :
.....
.....

प्रेषित :

निदेशक
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
जयपुर ।

विषय : आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा ।

महोदय,

विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान रसायनशाला हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु अपना निविदा प्रपत्र प्रेषित कर रहे हैं ।

(1) निविदा के लिये आवश्यक धरोहर राशि जमा करवाने संबंधी विवरण निम्न प्रकार है :-

अ. डिमाण्ड डाफ्ट क्रमांक दिनांक..... राशि
..... बैंक का नाम..... निदेशक,
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम संलग्न है ।

ब. रसीद संख्या दिनांक राशि नगद
संस्थान में जमा करा दी गई है ।

(2) आयकर भुगतान का प्रमाण- पत्र संलग्न है/नहीं है ।

(3) बिक्री कर अदेय प्रमाण-पत्र संलग्न है/नहीं है ।

(4) Tin No. या प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है ।

(5) निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त मानी जावेगी ।

(6) निविदा में वर्णित औषधि के आगे अंकित दर दिनांक 31.03.2017 तक मान्य होगी ।

- (7) दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावें । दरों में कोई त्रुटी (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें ।
- (8) निविदा स्वीकृत होने पर संस्थान के द्वारा स्वीकृत दर (लागत) की 5 प्रतिशत के बराबर सिक्क्यूरिटी राशि (प्रतिभूति राशि) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट या नगद के रूप में संस्थान में निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त के 7 दिवस की अवधि में जमा करा दी जावेगी व 500/- रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र की पूर्ति संस्थान में प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।
- (9) समस्त आपूर्ति मय कर व ड्यूटी सहित एफ.ओ.आर. संस्थान में होगी ।
- (10) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में आपूर्ति से पूर्व फर्म द्वारा निर्धारित आवश्यक (सुरक्षा राशि) जमा न करवाने पर उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा ।
- (11) संस्थान द्वारा माल के स्वीकृत नमूने के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति की जावेगी । यदि कोई वस्तु संस्थान की क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है तो उसे तत्काल संस्थान परिसर से हटा लिया जावेगा, न हटाने की स्थिति में माल खोने, टूटने-फूटने या अन्य किसी प्रकार की हानि होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- (12) संस्थान न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।
- (13) संस्थान को सामान की सप्लाई करते समय रास्ते में होने वाली टूट-फूट या हानि की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी ।
- (14) आवश्यकतानुसार वस्तु की मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा । क्रय आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में सामान सप्लाई करना होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् सप्लाई करने पर संस्थान माल लेने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा यदि कोई हानि होती है तो उसका भुगतान दोषी फर्म से वसूला जावेगा ।
- (15) निविदा के आधार पर स्वीकृत दरे दिनांक 31.03.2017 तक प्रभावी मानी जावेगी । निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करवाने हेतु अगले 4 माह के लिये अनुबन्ध के समय में वृद्धि करने का एकल अधिकार होगा, जो निविदादाता को मान्य होगा ।
- (16) विलम्ब से माल सप्लाई करने पर संस्थान को माल स्वीकृत करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । फर्म द्वारा विलम्ब से सप्लाई किये गये सामान के स्वीकृत होने की स्थिति पर निम्न प्रकार लिम्बिडिटी डेमेजेज (पेनल्टी) का भुगतान करने के लिये फर्म बाध्य होगी :-

(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर कीमत का 5 प्रतिशत ।

(ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर कीमत का 10 प्रतिशत ।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ती पृथक से वसूली जावेगी ।

(17) फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी । यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्क्युरिटी राशि जम्ब करने का अधिकार होगा ।

(18) संस्थान के द्वारा पत्र के साथ प्रसारित शर्तों को हम स्वीकार करते हैं और उनका पालन करने को बाध्य है ।

(19) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

(ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।

(20) सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम

पता/दूरभाष

.....
.....

(रबड़ की मोहर लगावें)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
(भारत सरकार द्वारा संस्थापित माधव विलास पैलेस
आमेर रोड, जयपुर-302002 (राजस्थान)
(रसायनशाला)
निविदा शर्तें

1. संस्थान रसायनशाला के उपयोग हेतु संलग्न सूची की जड़ी बूटियों/कच्ची औषधियों (आयुर्वेदिक) क्रय की जानी है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी :-

क्र.स.	नाम वस्तु	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	कच्ची औषधियाँ (आयुर्वेदिक)	रु. 1,15,000,00/-	रु. 2,30,000/-	रु.400/- नगद रु.500/- डी.डी.

2. निविदायें विहित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जायेगी । आवेदन करने पर निविदा प्रपत्र संस्थान कार्यालय से निर्धारित शुल्क नगद जमा कराने पर दिनांक 17.11.2016 को मध्याह्न 3.00 बजे तक तथा डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगवाने के लिये संस्थान में दिनांक 02.11.2016 सांय 5.00 बजे तक प्राप्त राशि वाले निविदादाताओं को ही निविदा प्रपत्र भेजा जावेगा ।
3. निविदाएं मुहरबन्द लिफाफे में संस्थान कार्यालय में दिनांक 17.11.2016 सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा होनी होगी । इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष रसायनशाला में क्रय समिति/निदेशक के निर्देशानुसार खोली जावेगी ।
4. धरोहर राशि “निदेशक” राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के नाम बने बैंक ड्राफ्ट या नगद संस्थान कोष में जमा करानी होगी । धरोहर राशि के लिए चैक मान्य नहीं होंगे । बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. न्यूनतम दरों वाली फर्म की निविदा स्वीकृत होने पर, असफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि को वापस लौटा दिया जावेगा । सफल निविदादाताओं द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि को उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) में समायोजित किया जा सकेगा ।
6. सफल निविदादाताओं को उनके द्वारा अंकित एवं संस्थान द्वारा स्वीकृत मूल्य (लागत) के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी राशि) निविदा स्वीकृत की सूचना प्राप्ति के सात दिवस में निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या नगद जमा करानी होगी । सफल निविदादाताओं को रुपये 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र संस्थान को प्रस्तुत करना होगा ।

7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनो रूप में लिखी जावें । दरों में कोई त्रुटी (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें ।
8. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शर्तों में यदि कोई परिवर्तन किया जावेगा/शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा । निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता को धरोहर/अमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा एवं इससे भी शर्त के उल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति नहीं होने पर शेष हानि की पूर्ति निविदादाता की चल-अचल सम्पत्ति से की जावेगी । फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
9. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ आयकर एवं बिक्रीकर अदेय प्रमाण-पत्र (क्लीरेन्स सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने होंगे जिसके अभाव में निविदा अमान्य की जा सकती है ।
10. सामान की दरें स्पष्ट रूप से माप, तोल या संख्या तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी । निविदा में दरें शुद्ध, स्पष्ट एवं अन्तिम रूप से बट्टे आदि की राशि कम करते हुए दर्शानी होगी एवं कर यदि कोई देय है तो अलगसे अंकित करने होंगे ।
11. संस्थान द्वारा सील किये गये नमूनों की दर के साथ ए.पी.आई./आई.पी. की क्वालिटी दर भी देनी होगी (जहा-2 जरूरी हो) ।
12. ए.पी.आई./आई.पी. का क्वालिटी द्रव्य नहीं मिलने पर रसायन शाला नमूनों के अनुसार द्रव्य क्रय किया जायेगा । अगर फर्म द्वारा कोई भी माल/औषधि सील पैकिंग में नहीं देती तो तीन नमूने सील किया जायेगा, अगर संस्थान चाहे तो उसका परीक्षण भी करवा सकता है । टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर संस्थान निर्णय लेगा ।
13. अगर संस्थान ए.पी.आई./आई.पी./क्वालिटी द्रव्य लेना चाहे तो माल की आपूर्ति के समय टेस्ट रिपोर्ट के साथ 100/-रु का नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉप प्रस्तुत करना होगा ।
14. निविदा स्याही से भरनी होगी तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे । दरों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें । कांट-छाट या संशोधन को सही रूप से लिखकर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जाना चाहिये ।
15. दरें संस्थान द्वारा निर्धारित गुणवत्ता वाले सामान को क्रय करने हेतु आमंत्रित की जा रही है, जिसके अनुरूप आपूर्ति होने पर ही सामान स्वीकार किया जावेगा । सामान का नमूना संस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है । यदि कोई निविदादाता अलग नमूने की दर देना चाहे तो नमूना निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा इस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
16. सामान नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी की इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा । माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।

17. दरों के न्यून होने तथा माल संस्थान द्वारा स्वीकृत नमूने के अनुरूप नहीं होने के आधार पर संस्थान माल क्रय करने को बाध्य नहीं होगा ।
18. माल की आपूर्ति के समय रास्ते में होने वाली समस्त प्रकार की टूट-फूट, खोने आदि से होने वाली हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
19. चूंकि क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है । अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा ।
20. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा ।
21. सामान की आपूर्ति क्रय आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में करनी होगी । विलम्ब से प्राप्त माल को पेनेल्टी सहित स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा । विलम्ब से माल को संस्थान द्वारा स्वीकार किये जाने पर फर्म से निम्नानुसार पेनेल्टी वसूल की जावेगी :-
 - (अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर कीमत का 5 प्रतिशत ।
 - (ब) 15 दिवस से अधिक (अधिकतम 1 माह तक) विलम्ब पर कीमत का 10 प्रतिशत ।
 - (स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनेल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ती पृथक से वसूली जावेगी ।
22. आदेशित माल की आपूर्ति समय पर नहीं करने पर संस्थान को अन्य फर्म से माल क्रय करने का अधिकार होगा एवं इससे संस्थान को हुई हानि की पूर्ति प्रथम एवं द्वितीय आदेशित फर्म की धरोहर राशि/अमानत राशि एवं अन्य उपलब्ध स्रोतों से यथा चल, अचल सम्पत्ति आदि से करने का संस्थान को अधिकार होगा ।
23. निविदा में अंकित दर 31.03.2017 तक ही प्रभावी मानी जावेगी तथा निविदादाताओं को 31.03.2017 तक अंकित दरों पर आदेश मिलन पर सामान की आपूर्ति करनी होगी । निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्वीकृत दरों पर सामान की आपूर्ति करने हेतु अनुबन्ध की अवधि अगले चार माह तक बढ़ाने का एकल अधिकारी होगा जो निविदादाता को मान्य होगा ।
24. क्रय हेतु आदेशित फर्म के द्वारा आपूर्ति किये गये माल में से क्रय समिति द्वारा छंटनी कर निर्णय लिये जाने की स्थिति से संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म से श्रमिक व्यय लिया जावेगा । अतः संबंधित फर्म नमूने के अनुरूप ही पूर्ति सुनिश्चित करें ।

25. निविदा प्रपत्र में समस्त प्रपत्रों पर निविदादाता फर्म के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
26. संस्थान द्वारा दिये गये क्रय आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कच्ची औषध की आपूर्ति आवश्यक रूप से की जावे अन्यथा नियमानुसार कटौती/पैनल्टी निविदा शर्तों के अनुसार की जावे ।
27. वस्तु /औषध मूल्य पर पृथक से मांग किए जाने वाले करों की दर स्पष्ट रूप से दरों के साथ उल्लेख की जावे ।
28. एक वस्तु/औषध की एक से अधिक बार Non supply एवं Late supply पर प्रत्येक बार शास्ती लगेगी ।
- 29.(i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
- (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
30. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

उप निदेशक (प्रशासन)

मैंने /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

(निविदा की समस्त शर्तों स्वीकारकरने के प्रमाण-स्वरूप)

संलग्न - निविदा प्रपत्र